

कार्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर

सी.आर.पी. लाइन, म.य. चिकित्सालय, इन्दौर के पीछे

कार्यालय दुरभाषनंभर :- 0731-2528650

ईमेल:-govnursingcollegeindore@rediffmail.com

फैक्सनंभर :- 0731-2528650

वेबसाईट:-www.nursinggovcollegeindore.in

आंक 155

दिनांक 11/1/25

प्रवेश सत्र 2024-25 में MP State B.Sc. Nursing Course Counselling 2024 - 25

के प्रथम चरण के लिये आवश्यक दिशा निर्देश

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश प्री नर्सिंग सिलक्शन टेस्ट (PNST) 2024 में मेरिट प्राप्त उम्मीदवार/महाविद्यालय के लिये अलॉटेड उम्मीदवार काउंसलिंग दिनांक 12/01/2025 से दिनांक 14/01/2025 तक समय प्रातः 10 बजे से 06 बजे तक निम्नानुसार अपने मूल (Original) दस्तावेज व महाविद्यालय की शुल्क लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।

अनुक्रमांक	पाठ्यक्रम	बी.एस.सी नर्सिंग (√ or X ^{1/2})
1.	प्रवेश पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की छायाप्रति (प्रवेश पत्र)	
2.	प्रवेश पात्रता परीक्षा की अंक सूची की प्रति	
3.	अर्हता परीक्षा की अंकसूची की मूल प्रति (यथा हायर सेकेण्ड्री, 10+12)।	
4.	कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अथवा अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) की मूल प्रति।	
5.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।	
6.	प्रवेश पात्रता परीक्षा के ठीक पूर्व का अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र। यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है।	
7.	अभ्यर्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।	
8.	आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण - पत्र/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।	
9.	दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी के जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण -पत्र	
10.	संचालक द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज:- - स्वशासी/शासकीय शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी संस्थान में 1 वर्ष की सेवा शासकीय चिकित्सालय में देने के लिए बाध्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा यह सेवा न करने पर स्वशासी संस्था में राशि रु 2 लाख जमा करना अनिवार्य होगा। - छात्रा द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यक्रम पूर्ण न करने से स्थिति में राशि रु 2 लाख शासकीय कोषालय में जमा करना अनिवार्य होगा।	
11.	सैनिक श्रेणी का लाभ लेने के लिए सेवारत सैनिक के संबंध में उसकी यूनिट के कमाण्डेंट द्वारा और सेवानिवृत्त अथवा मूल सैनिक के संबंध में उसके जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।	
12.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र	
13.	जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र	

10/01/2025
 आचार्य
 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय
 सी.आर.पी. लाइन, इन्दौर